B- 3 & 4
L - 13
Social Justice

अति संवेदनशील वर्ग : वृद्ध

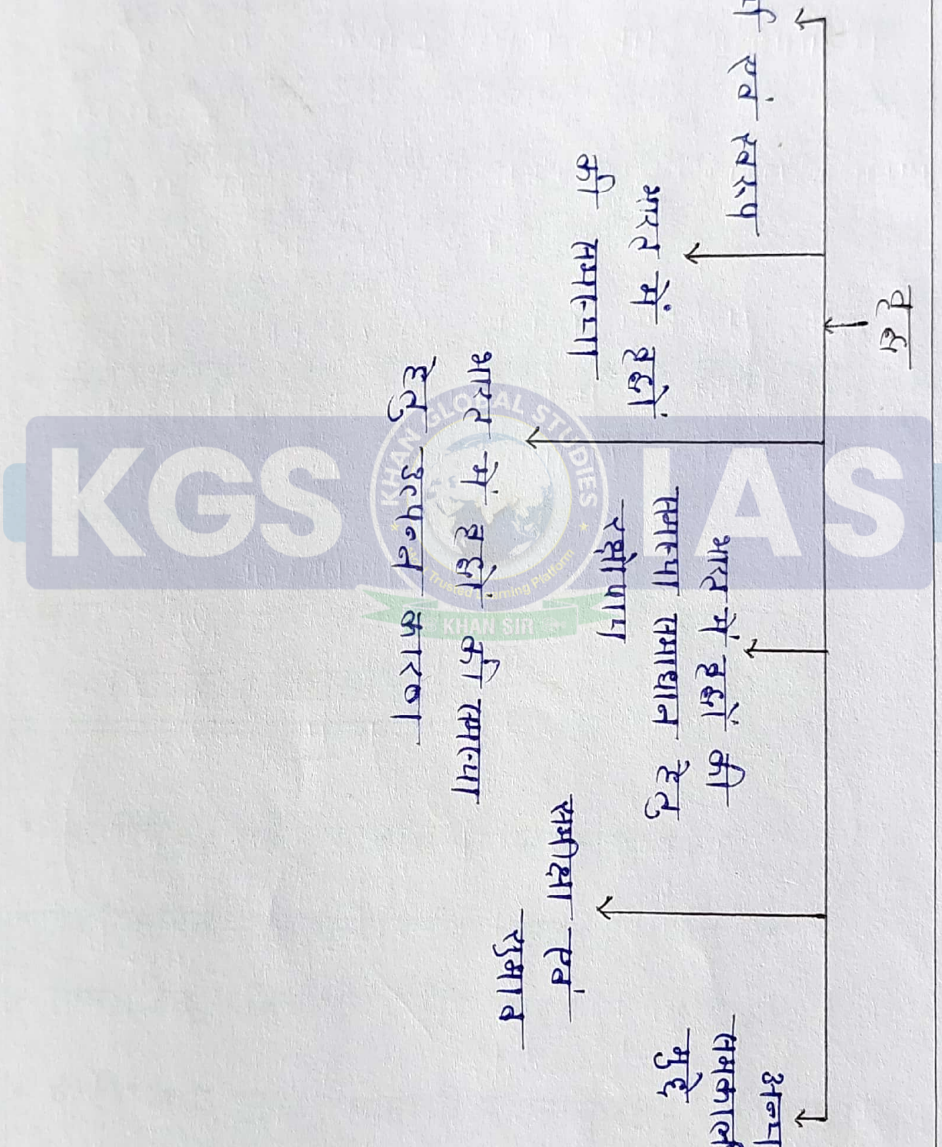

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

वृद्ध का अर्थ एवं स्वरूप :-

- भारतीय समाज में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है वह वृद्ध कहलाता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 10.38 करोड़ (8%) है जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 60 लाख है।
- अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या क्रमशः 32.4 करोड़ (लगभग 20%) तथा 4.8 करोड़ हो जाएगी।

भारत में वृद्धों की अतिसंवेदनशीलता का स्वरूप / समस्याएँ :-

- शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता।
- पारिवारिक निर्णयों में घटती भूमिका।
- सामाजिक निर्णयों में घटती भूमिका।
- पीढ़ीगत एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्या।
- आर्थिक असुरक्षा की समस्या।

Scanned by CamScanner

• आर्थिक असुरक्षा तथा परिवार एवं समाज में उपेक्षा से मानसिक तनाव एवं बीमारियाँ।

वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक-2021

PDF Note

भारत में वृद्धों की अतिसंवेदनशीलता / समस्याओं के कारण :-

(i) शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता।
(ii) आर्थिक एवं वित्तीय समस्या।
(iii) पीढ़ीगत अंतर एवं पीढ़ीगत संघर्ष।
(iv) वैश्वीकरण की प्रक्रिया।
(v) एकाकीपन एवं अलगाव की समस्या।
(vi) सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी।
(vii) जनसंख्या वृद्धि एवं आवास की समस्या।

भारत में वृद्धों की समस्या समाधान / रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास :-

प्रमुख मंत्रालय एवं एजेंसी-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय - 1998
2. National Council for Senior Citizens, 2012

Scanned by CamScanner

3. Pension Fund Regulatory and Development Authority (2003/2013) (Act)

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास :-

1. अनुच्छेद-41

राज्य को वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने हेतु निर्देश।

2. Hindu Adoption and Maintenance Act - 1956

इस एक्ट की धारा 20(C) में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान है।

3. CrPC - 1973

इसके सेक्शन 125(1)(d) में यह प्रावधान किया गया कि, वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण पुत्र का कानूनी कर्तव्य होगा।

4. Pension Fund Regulatory and Development Authority (2003/2013)

5. Maintenance and welfare of Parents and Senior Citizens Act - 2007

Scanned by CamScanner

National Policy of Older persons 1999

उद्देश्य :

(i) युवाओं और वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना।

2. वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्तियों के अनुभवों एवं विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके तथा दूसरी तरफ वृद्ध एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकें।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित प्रयास किए जा रहे हैं-

(i) वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए, क्षेत्रों को बढ़ाया जाये।

(फलत: APY 2015 ; VVY योजना; 2017)

(ii) गैर-सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक कर कटौतियों को बढ़ाया जाये।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Scanned by CamScanner

4. पेंशन कोष के एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए।
(फलत: 2013 में PFRDA का गठन)

5. वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त कराने की प्रक्रिया को सरल करना।

6. वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों द्वारा देखभाल के अधिकार को उपलब्ध कराने हेतु, कानून का निर्माण किया जाये।
(फलत: MWPSC Act -2007 पारित)

NCSC के प्रमुख कार्य

1. केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धों के लिए बनायी गयी नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करना।

2. इनके लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण आहार, आश्रय तथा संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

National Council for Senior Citizens (2012)

- 2012 में NCSC के नाम से स्थापित।
- पूर्व नाम National Council for older persons (1919) था।

Scanned by CamScanner

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA - 2003/2013)

P. D. F Notes

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner